

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2026—श्रावण 9, शक 1948

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क. 342-1282762-2026-बीस-3

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2026

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन 1965) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 1 में,-

(1) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“1. संक्षिप्त नाम, लागू होना, प्रारंभ और विस्तार.-”;

(2) उप-नियम (1), (2) एवं (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

“(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला) मान्यता नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राज्य में स्थापित अथवा स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को लागू होंगे एवं सीबीएसई, सीआईएससीई (आईसीएसई) अथवा किसी अन्य बोर्ड से संबद्धता के लिए अनुपति प्रमाण पत्र प्रदाय किए जाने पर भी शासित होंगे।

(4) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।”।

2. विद्यमान नियम 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 एवं 12 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाएं. अर्थात्:-

"2. परिभाषाएँ:- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965);
- (ख) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त, लोक शिक्षण;
- (ग) संचालक से अभिप्रेत है, संचालक, लोक शिक्षण;
- (घ) "संभागीय संयुक्त संचालक" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा संभागीय मुख्यालयों पर नियुक्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण;
- (ङ.) "ऑनलाइन पोर्टल" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा विकसित एवं संचालित मान्यता पोर्टल;
- (च) "निजी विद्यालय" से अभिप्रेत है, किसी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त विद्यालय, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों अथवा संबंधित केंद्रीय/राज्य अधिनियमों के अधीन सम्यक् रूप से गठित एवं पंजीकृत हों;
- (छ) "राज्य मान्यता समिति" से अभिप्रेत है, नियम 3 के अधीन गठित राज्य मान्यता समिति।

3. राज्य मान्यता समिति का गठन, शक्तियां एवं कार्य:-

(1) राज्य स्तर पर एक मान्यता समिति गठित होगी। राज्य मान्यता समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे:-

- (क) मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग - अध्यक्ष
- (ख) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि - सदस्य
- (ग) भारसाधक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग - सदस्य
- (घ) आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश - सदस्य
- (ङ) आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत संयुक्त संचालक की श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी जिसे लोक शिक्षण संचालनालय की मान्यता शाखा का कार्य सौंपा गया हो - सदस्य

(च) आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत - सदस्य संयुक्त संचालक की श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी जो लोक शिक्षण संचालनालय की मान्यता शाखा का कार्य देखता हो

- (2) राज्य मान्यता समिति, नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर अनुदेश तथा मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगी। मान्यता समिति द्वारा स्थापित ऐसे अनुदेश एवं प्रक्रिया समस्त निजी विद्यालयों के लिए बंधनकारी होगी। मान्यता समिति को, मान्यता नवीनीकरण प्रकरणों के संबंध में, इन नियमों में उल्लिखित मापदण्ड तथा शर्तों को एक वर्ष की कालावधि के लिए छूट प्रदान करने की शक्ति होगी।
 - (3) राज्य मान्यता समिति को मान्यता शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, विलम्ब शुल्क तथा अन्य शुल्क को समय-समय पर विनिश्चित करने अथवा पुनरीक्षित करने की शक्ति होगी।
 - (4) अध्यक्ष, राज्य मान्यता समिति की बैठक आहूत करेगा।
 - (5) राज्य मान्यता समिति की बैठक के लिए न्यूनतम 3 सदस्यों की गणपूर्ति अपेक्षित होगी, जिसमें प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा तथा आयुक्त, लोक शिक्षण की उपस्थिति आज्ञापक होगी।
 - (6) समिति, अशासकीय विद्यालयों के निरीक्षण, ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु यथा अपेक्षित आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी।
4. **मान्यता प्राधिकारी.-** नवीन मान्यता, मान्यता विस्तार, संकाय वृद्धि, शिक्षण के माध्यम में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन एवं नाम परिवर्तन संबंधी आवेदनों पर अंतिम विनिश्चय संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा किया जाएगा।
5. **मान्यता हेतु मापदण्ड.-** नवीन मान्यता एवं मान्यता के नवीनीकरण हेतु संबंधित सोसायटी/ ट्रस्ट/कंपनी को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा,-
- (1) केन्द्रीय/राज्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी/ट्रस्ट अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनियों (जिसमें शिक्षा उसके उद्देश्यों में से एक हो) द्वारा स्थापित

निजी हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

(2) (क) विद्यालय में छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त निर्मित भवन होना चाहिए। विद्यालय भवन में छात्र सुरक्षा, प्रकाश, वातानुकूलन एवं शैक्षणिक प्रयोजनों हेतु उपयुक्त सुविधाएं होनी चाहिए;

(ख) विद्यालय में कक्षा 9वीं से 10वीं अथवा 9वीं से 12वीं, जैसी भी स्थिति हो, के लिए छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त अध्यापन कक्षाओं की व्यवस्था होना चाहिए;

(ग) भूमि तथा भवन के संबंध में, सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी के पास स्वयं के नाम पर विधिवत् स्वामित्व दस्तावेज होने चाहिए। जहां भूमि या भवन किराये पर या पट्टे पर लिया गया है, वहां न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिवत् पंजीकृत पट्टा विलेख या किराया अनुबंध होना चाहिए;

(घ) विद्यालय में अग्निशमन संबंधी समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए।

(3) विद्यालय प्रबंधन, आवश्यक बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करते हुए, छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखते हुए, विद्यालय को दो पालियों में संचालित कर सकेगा।

(4) (क) **प्रयोगशाला.-** प्रत्येक हाई स्कूल में एक एकीकृत प्रयोगशाला होना चाहिए। प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पृथक से भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र तथा जीव विज्ञान के शिक्षण के लिए प्रयोगशालाएं बनाए रखेगा, जो विहित पाठ्यक्रम तथा छात्र संख्या के अनुरूप आवश्यक सामान (उपकरण) और उपकरणों से सुसज्जित होंगी। विद्यालय समय-समय पर अपनी प्रयोगशालाओं में आयोजित व्यवहारिक गतिविधियों के ब्यौरे, उसकी तस्वीरों के साथ ऐसी रीति में जैसे कि विनिर्दिष्ट की जाए, ऑनलाइन अपलोड करेगा;

(ख) **आई सी टी शिक्षा.-** विद्यालय के सभी छात्रों हेतु आईसीटी आधारित शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसमें सम्मिलित होंगे,-

(एक) इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिजिटल साक्षरता व्यवस्था;

(दो)ई-लर्निंग एवं डिजिटल कंटेंट के उपयोग हेतु सुविधा।

- (5) **पुस्तकालय.-** विद्यालय, छात्र संख्या के अनुपात में पुस्तकालय/वाचनालय बनाए रखेगा। पुस्तकालय में विहित पाठ्य पुस्तकों के अलावा विद्यार्थियों के लाभ के लिए, आयु के अनुरूप, कथा साहित्य, संदर्भ पुस्तकें, विश्वकोश, पत्रिकाएं, मैगजीन तथा ई-बुक्स का समावेश होगा।
- (6) **खेल मैदान तथा सुविधाएं.-** विद्यालय, अपने छात्र संख्या के अनुपात में खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। विद्यालय परिसर में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध न होने की स्थिति में, विद्यालय, खेल गतिविधियों हेतु विद्यालय से 500 मीटर के दायरे में सुविधा उपलब्ध कराएगा: परन्तु ऐसी सुविधाएं छात्रों के लिए सुरक्षित एवं आसान पहुंच वाली होगी और या तो सोसायटी/समिति की स्वयं की होगी अथवा किसी अन्य निकाय, अभिकरण या लोक अधोसंरचना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
- (7) **प्रसाधन.-** विद्यालय में छात्र संख्या के अनुपात में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक प्रसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- (8) **अन्य सुविधाएं.-** प्रभावी पठन-पाठन की सुविधा हेतु विद्यालय में छात्र संख्या एवं कक्षाओं के अनुपात में अनिवार्य अधोसंरचना की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- (9) **पेयजल.-** विद्यार्थियों एवं कर्मचारिवृन्द के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (10) **शिक्षक-शिक्षण व्यवस्था.-** विद्यालय, छात्र संख्या के अनुपात में अर्ह एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। इस प्रकार नियुक्त शिक्षकों की अर्हता शासकीय शालाओं के शिक्षकों के लिए विहित अर्हता से कम नहीं होगी। विद्यालय, आई सी टी, खेल, संगीत एवं परामर्श के लिए भी यथा अपेक्षित शिक्षकों की उपयुक्त व्यवस्था भी करेगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक कलेंडर एवं विहित घंटे/समयावधि के अनुसार पाठन व्यवस्था संचालित की जाएगी। विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों एवं कर्मचारिवृन्द की ऑनलाइन/इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति इस रीति में सुनिश्चित करेगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए।

- (11) **सुरक्षा निक्षेप.-** मान्यता/मान्यता के नवीनीकरण चाहने वाला प्रत्येक विद्यालय उस कालावधि के लिए सुरक्षा निक्षेप जमा करेगा, जिसके लिए आवेदन किया गया है। नीचे सारणी में यथा उल्लिखित राशि एक मुश्त जमा की जाएगी,-

सारणी

अनुक्रमांक	छात्रों की संख्या	हाई स्कूल	हाई स्कूल + उच्चतर माध्यमिक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	250	रुपए 25,000/-	रुपए 40,000/-
2.	251 से 500	रुपए 35,000/-	रुपए 50,000/-
3.	501 से 750	रुपए 50,000/-	रुपए 75,000/-
4.	751 से अधिक	रुपए 75,000/-	रुपए 1,00,000/-

इस प्रकार जमा की गई सुरक्षा निक्षेप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विद्यालय के प्राचार्य तथा जिला शिक्षा अधिकारी के संयुक्त नाम से सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी। जहां कोई संस्था, विद्यालय की मान्यता अभ्यर्पित करने अथवा निरस्त करने के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है, सुरक्षा निक्षेप, शोध्यों की कटौती करने के पश्चात्, यदि कोई हो, वापस कर दी जाएगी।

(12) **अन्य शर्तें.-**

- (क) जहां सोसायटी या ट्रस्ट विद्यमान मान्यताप्राप्त विद्यालय के अतिरिक्त कोई अन्य स्थान पर विद्यालय की शाखा खोलने का आशय रखती है, तो उसे नवीन मान्यता प्राप्त करने के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार नवीन मान्यता प्राप्त करनी होगी;
- (ख) विद्यालय परिसर के भीतर शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि अथवा अन्य गैर-शैक्षणिक संस्था अथवा पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति नहीं होगी;
- (ग) प्रत्येक विद्यालय उस बोर्ड द्वारा विहित किए गए पाठ्यक्रम का संचालन करेगा, जिससे वह संबद्ध है;

(घ) कोई सोसायटी/ट्रस्ट, जो छात्रों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करा रही है या उपलब्ध कराने का आशय रखती है, नवीन मान्यता या मान्यता नवीनीकरण का आवेदन करते समय, ऐसी आवासीय सुविधा से संबंधित समस्त विहित विशिष्टियां पोर्टल पर ऐसी रीति में अपलोड करेगी, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए।

(13) सोसायटी/ट्रस्ट, विद्यालय का नाम परिवर्तन हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेगी। नाम परिवर्तन की स्वीकृति आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू होगी।

(14) प्रत्येक विद्यालय ऑनलाईन आवेदन के साथ सम्यक रूप से ई-हस्ताक्षरित स्व-घोषणा जिसमें इन नियमों और विद्यालय और छात्रों से जुड़े सभी अन्य लागू कानूनों का पालन करने का कथन किया गया हो, अपलोड करेगा।

जहां स्व-घोषणा की कोई विशिष्टियां असत्य पाई जाती हैं, वहां सक्षम प्राधिकारी, संबंधित विद्यालय पर रुपये 2,00,000/- तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, मान्यता निलम्बन की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेगा तथा सोसायटी/समिति के अध्यक्ष, सचिव या संचालक तथा विद्यालय के प्राचार्य के विरुद्ध उपयुक्त विधिक कार्यवाही कर सकेगा।

6. मान्यता के लिए आवेदन की प्रक्रिया.- नवीन मान्यता, मान्यता नवीनीकरण अथवा अन्य मामलों के लिए सोसायटी/ट्रस्ट, विहित नीचे यथा उल्लिखित दस्तावेजों के साथ विहित प्ररूप में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगी,-

(1) पोर्टल पर आवेदन वर्षभर प्रस्तुत किया जा सकेगा। तथापि, जिस सत्र हेतु मान्यता चाही गई है, उस सत्र से पूर्व, सत्र में 30 सितम्बर की तिथि तक प्राप्त आवेदनों पर मान्यता हेतु विचार किया जाएगा। 30 सितम्बर की तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर केवल पश्चातवर्ती सत्र की मान्यता हेतु ही विचार किया जाएगा। प्रतिवर्ष सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व, नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण प्रदान करने की प्रक्रिया अपील सम्मिलित करते हुए, 28 फरवरी तक पूर्ण की जाएगी। अपरिहार्य कारणों से उक्त अवधि को घटाने/बढ़ाने के लिए मान्यता समिति सक्षम होगी।

(2) ऐसे मामलों में, जहां विद्यालय, पोर्टल के माध्यम से उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है तथा मान्यता के लिए मानदण्डों की पूर्ति न होने के कारण उसका आवेदन रद्द कर दिया जाता है, तो विद्यालय की मान्यता न होने के कारण आगामी सत्र में छात्रहित में विद्यालय में अध्ययनरत केवल कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्र माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में नियमित छात्रों के रूप में सम्मिलित हो सकेंगे एवं विद्यालय, कक्षा 9वीं एवं 11वीं में छात्रों को प्रवेश देने हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) यदि किसी विद्यालय की मान्यता बीच सत्र में किन्हीं कारणों से रद्द की जाती है, तो आदेश आगामी सत्र से प्रभावशील होगा।

7. मान्यता की कालावधि:- किसी सोसायटी अथवा ट्रस्ट को प्रारम्भ में पांच वर्ष की कालावधि के लिए नवीन मान्यता प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात् विद्यमान मान्यताप्राप्त विद्यालयों की मान्यता आगामी पांच वर्ष की कालावधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी। किसी भी सोसायटी अथवा ट्रस्ट को एक ही शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 9वीं और 10वीं या कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के लिए एक साथ मान्यता नहीं दी जाएगी। तथापि, विहित पात्रता शर्तों के पूर्ण होने के अध्यधीन कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं दोनों के लिए मान्यता उसी वर्ष में दी जा सकेगी।

8. नवीन मान्यता प्रदान करने, मान्यता का विस्तार, संकाय की वृद्धि अथवा माध्यम परिवर्तन के लिए प्रक्रिया:-

(1) सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी से पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर, संभागीय संयुक्त संचालक, नवीन विद्यालय संस्थापित करने या विद्यमान मान्यताप्राप्त विद्यालय की मान्यता विस्तार के लिए नवीन मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदक की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा।

(2) संभागीय संयुक्त संचालक, ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर नवीन मान्यता प्रदान करने अथवा मान्यता के विस्तार के आवेदन पर अंतिम विनिश्चय करेगा।

(3) जहां आवेदन अपूर्ण है अथवा विहित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो संभागीय संयुक्त संचालक, आवेदन प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के

भीतर आवेदक को ई-मेल के माध्यम से इस त्रुटि के बारे में सूचना देगा। आवेदक ऐसी त्रुटि को दूर करेगा तथा ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर पुनः आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(4) जहां संभागीय संयुक्त संचालक, विहित कालावधि में आवेदन पर निर्णय नहीं लेता है, तो यह समझा जायेगा, कि नवीन मान्यता अथवा मान्यता विस्तार के लिए आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है।

9. सेवा और आचरण नियमों का क्रियान्वयन.- विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारिवृंद हेतु सेवा एवं आचरण नियमों को जारी एवं प्रवृत्त करेगा।

10. प्रक्रिया/मान्यता आवेदन शुल्क.-

(1) मान्यता/मान्यता के विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाली प्रत्येक सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी निम्नानुसार प्रक्रिया शुल्क आवेदन के साथ ऑनलाइन जमा करेगी,-

जिसके लिए आवेदन किया गया है	नामांकन	मान्यता शुल्क
(1)	(2)	(3)
नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण / संकाय वृद्धि/माध्यम वृद्धि /स्थान परिवर्तन/नाम परिवर्तन	2000 से अधिक	रुपये 10000/-
	1001 से 2000 तक	रुपये 7500/-
	501 से 1000 तक	रुपये 5000/-
	500 तक	रुपये 2500/-

(2) प्रक्रिया/मान्यता शुल्क के रूप में प्राप्त राशि अथवा उस राशि पर बैंक से प्राप्त ब्याज का उपयोग, आयुक्त, लोक शिक्षण अथवा मान्यता समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा,-

(क) शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए वर्कशॉप, बैठक, सेमीनार आदि का आयोजन करने के लिए;

(ख) शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करने तथा शिक्षकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए;

- (ग) विद्यालयों में मूलभूत अधोसंरचना तथा आई.सी.टी. सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु;
- (घ) शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए दीर्घ/अल्पावधि, प्रशिक्षण/परीक्षाएं आयोजित करने हेतु;
- (ङ) समय-समय पर विद्यालयों के निरीक्षण एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए वाहनों को किराए पर लेने हेतु;
- (च) मान्यता समिति द्वारा यथा अनुमोदित कोई अन्य गतिविधि हेतु।

11. मान्यता का निरस्तीकरण/निलंबन और सुरक्षा निक्षेप का समपहरण.-

- (1) संभागीय संयुक्त संचालक, किसी विद्यालय की मान्यता निलंबित कर सकेगा, जहां जांच के आधार पर यह पाया जाता है कि उस विद्यालय द्वारा नियम 5 के अधीन विहित मानकों, शर्तों और उत्तरदायित्वों अथवा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शन का प्रथम दृष्टया पालन नहीं किया गया है। ऐसे निलंबन के 30 दिनों के भीतर सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाएगा। इसमें असफल रहने पर निलंबन स्वतः वापस लिया गया माना जाएगा। निलंबन अवधि के दौरान विद्यालय कोई नवीन प्रवेश नहीं देगा।
- (2) जहां कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी के प्रबंधन का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो संभागीय संयुक्त संचालक संबंधित को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, रूपए 1,00,000/- (रूपए एक लाख) तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, रूपए 1,00,000/- (रूपए एक लाख) से अधिक और रूपए 2,00,000/- (रूपए दो लाख) तक की शास्ति, आयुक्त, लोक शिक्षण के पूर्व अनुमोदन से अधिरोपित कर सकेगा। जहां विद्यालय की मान्यता रद्द किया जाना प्रस्तावित है, राज्य मान्यता समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। कोई विद्यालय जिसकी मान्यता रद्द की गई है, वर्तमान शैक्षणिक सत्र के शेष भाग में छात्रहित में संचालित किया जा सकेगा और इसके पश्चात् संचालित नहीं किया जाएगा।

- (3) मान्यता के प्रत्याहरण पर, विद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई सुरक्षा निक्षेप पूर्णतः या अंशतः जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, समपहत हो जाएगी।

12. अपील.-

- (1) नवीन मान्यता अथवा मान्यता विस्तार संबंधी आवेदन अमान्य किए जाने अथवा मान्यता रद्द किए जाने अथवा शास्ति अधिरोपित किए जाने से सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी संभागीय संयुक्त संचालक के आदेश से व्यथित है, तो आदेश पारित किए जाने की तारीख से 30 दिवस के भीतर आयुक्त, लोक शिक्षण को प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकेगी। आयुक्त, ऐसी अपील का निराकरण 30 दिवस की कालावधि के भीतर करेगा। आयुक्त, लोक शिक्षण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति 30 दिवस की कालावधि के भीतर मान्यता समिति के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकेगा। राज्य मान्यता समिति का उस पर विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- (2) राज्य मान्यता समिति, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, किसी अपील के निराकरण हेतु विहित समय-सीमा का विस्तार कर सकेगी अथवा उसे घटा सकेगी।
- (3) प्रत्येक अपील, चाहे वह आयुक्त, लोक शिक्षण के समक्ष अथवा राज्य मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई हो रूपए 5,000/- (रूपए पांच हजार) की प्रक्रिया शुल्क के साथ की जाएगी।

Letter No. 342-1282762-2026-XX-3

In exercise of the powers conferred by section 27 of the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965 (No. 23 of 1965), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Recognition of Secondary and Higher Secondary School Rules, 2017, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. in rule 1,-

(1) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"1. Short title, application, commencement and extent.-";

(2) for sub-rule (1), (2) and (4), the following sub-rules shall be substituted respectively, namely:-

"(1) These rules may be called the Madhya Pradesh (Secondary and Higher Secondary School) Recognition Rules, 2017.

(2) These rules shall apply to all Secondary and Higher Secondary Schools established or proposed to be established in the State and shall also govern the grant of No Objection Certificates for affiliation with the CBSE, CISCE (ICSE) or any other Board.

(4) These rules shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh."

2. For the existing rule 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, the following rules shall be substituted respectively, namely:-

"2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965 (No. 23 of 1965);
- (b) "Commissioner" means the Commissioner, Public Instruction;
- (c) "Director" means the Director, Public Instruction;
- (d) "Divisional Joint Director" means the Divisional Joint Director, Public Instruction, appointed by the State Government, at the divisional headquarters;
- (e) "Online Portal" means a recognised portal, developed and operated by the State Government;
- (f) "Private School" means all schools operated by a society/trust, duly constituted and registered under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or relevant Central/State Acts;
- (g) "State Recognition Committee" means the State Recognition Committee constituted under rule 3.

3. Constitution, powers and functions of the State Recognition Committee.-

- (1) A Recognition Committee shall be constituted, at the State level. The members of the State Recognition Committee shall be as follows,-

- (a) Minister, Government of - Chairman;
Madhya Pradesh, School
Education Department
 - (b) representative nominated by the - Member;
Chairman, Madhya Pradesh
Board of Secondary Education
 - (c) Secretary, in-charge, Government - Member;
of Madhya Pradesh, School
Education Department
 - (d) Commissioner, Directorate of - Member;
Public Instruction, Madhya
Pradesh
 - (e) the Director, Public Instruction, - Member;
in-charge of the recognition
section, duly authorized by the
Commissioner, Directorate of
Public Instruction
 - (f) Joint Director, in-charge of the - Member-
recognition section of the Secretary.
Directorate of Public
Instruction, duly authorized by
the Commissioner, Directorate
of Public Instruction
- (2) The State Recognition Committee shall, for the effective implementation of the rules shall issue instructions and guidelines, from time to time. Such instructions and procedures established by the Recognition Committee shall be binding on all private

schools. The Recognition Committee shall have the power to grant exemptions from the parameters and conditions mentioned in these rules, for a period of one year, in respect of recognition renewal cases.

- (3) The State Recognition Committee shall have the power to decide or revise the recognition fee, processing fee, late fee and other fees, from time to time.
- (4) The Chairman shall convene a meeting of the State Recognition Committee.
- (5) The quorum required for a meeting of the State Recognition Committee, shall be of three members, which shall mandatorily include the Secretary (in-charge), Government of Madhya Pradesh, School Education and the Commissioner of Public Instruction.
- (6) The Committee shall issue necessary guidelines, as required, for ensuring the arrangements regarding inspection, online monitoring and quality assessment of non-Governmental schools.

4. Recognition Authority.- The final decision on applications relating to grant of new recognition, extension of recognition, enhancement of faculties, change of medium of instruction, change of location and change of name shall be taken by the Divisional Joint Director.

5. Parameters for recognition.- For new recognition and renewal of recognition, the concerned society/trust/company must comply with the following conditions,-

- (1) private high schools/higher secondary schools, established by societies/trusts registered under Central/State Acts or companies registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (where education is one of its objects), shall be eligible for grant of recognition.
- (2)
 - (a) the school must have adequate constructed buildings, in proportion to the number of students. The school building must have suitable arrangements for the student's safety, lighting, ventilation and for educational purposes;
 - (b) the school must have arrangements of adequate classrooms for classes 9th to 10th or 9th to 12th, as the case may be, in proportion to the number of students;
 - (c) in respect of the land and building, the society/trust/company must possess valid title documents in its own name. Where the land or building is taken on rent or lease, there must be a lease deed or rent agreement, duly registered, for a minimum period of five years;
 - (d) the school must have adequate fire-fighting arrangements.
- (3) The school management may operate the school in two shifts, ensuring the necessary infrastructure, maintaining the safety of students and quality of the education.

- (4) (a) **Laboratory.**- Every High School shall maintain an integrated laboratory. Every Higher Secondary School shall maintain laboratories for teaching of Physics, Chemistry and Biology separately, duly equipped with the necessary apparatus and equipment, commensurate with the prescribed curriculum and student strength. The school shall periodically upload, online details of the practical activities conducted in its laboratories, in such manner, as may be specified, together with photographs thereof;
- (b) **ICT Education.**- ICT-based learning facilities must be available for all the students, including,-
- (i) internet connectivity and digital literacy;
 - (ii) facilities for e-learning and for the use of digital content.
- (5) **Library.**- The school shall maintain a library/reading room in proportion to its student strength. In addition to the prescribed textbooks, for the benefit of students, the library shall contain age-appropriate fiction, reference books, encyclopedias, journals, magazines and e-books.
- (6) **Playground and facilities.**- The school shall provide adequate facilities for sports activities, in proportion to its student strength. In the event of non-availability of such facilities within the school premises, the school may provide access to sports facilities located within a radius of 500 meters from the school:

Provided that such facilities are safe and conveniently accessible to the students and are either owned by the society/committee or made available by any other body, agency or through public infrastructure.

- (7) **Toilets.**- The school shall maintain adequate toilet facilities for boys and girls separately, in proportion to the student strength.
- (8) **Other facilities.**- The school must have adequate essential infrastructure, in proportion to the student strength and the number of classes, to facilitate effective teaching and learning.
- (9) **Drinking Water.**- There should be a safe and clean drinking water system for students and staff.
- (10) **Teacher-teaching arrangements.**- The school shall appoint qualified and trained teachers, in proportion to the student strength. The qualification of teachers, so appointed shall not be less than, as prescribed for the teachers of the Government schools. The school shall also make suitable arrangements for teachers in ICT, sports, music and counselling, as required. Teaching shall be conducted in accordance with the academic calendar and the prescribed instructional hours notified by the Directorate of Public Instruction. The school management shall ensure the online/electronic attendance of teachers and staff, in such manner, as may be specified.

- (11) **Security Deposit.-** Each school seeking recognition/renewal of recognition shall deposit a security deposit for the period, for which the application is made. The amount shall be deposited in lump sum, as mentioned in the table below,-

TABLE

S. No.	Number of Students	High School	High School + Higher Secondary
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	250	Rs. 25,000/-	Rs. 40,000/-
2.	251 to 500	Rs. 35,000/-	Rs. 50,000/-
3.	501 to 750	Rs. 50,000/-	Rs. 75,000/-
4.	751 and above	Rs. 75,000/-	Rs. 1,00,000/-

The security deposit, so deposited, shall be kept with a Nationalised bank, as a fixed deposit, in joint name of the Principal of the school and the District Education Officer. Where the institution submits a written request for surrender or cancellation of the school's recognition, the security deposit shall be refunded, after deducting dues, if any.

(12) **Other conditions.-**

- (a) Where a society or trust intends to establish a branch school, at a location other than that of an existing recognised school, it shall obtain fresh recognition, in accordance with the procedure as prescribed for grant of new recognition;

- (b) no activity other than teaching or operation of any non-educational institution or course, shall be permitted within the school premises;
- (c) every school shall conduct the curriculum prescribed by the Board, with which it is affiliated;
- (d) a society or trust providing or intending to provide, residential facilities for students shall, at the time of applying for fresh recognition or renewal of recognition, upload on the portal, all prescribed particulars relating to such residential facilities, in such manner, as may be specified.

(13) A society/trust may apply for change of the school's name online, pursuant to a resolution passed unanimously. The change of the name approved, shall take effect from the succeeding academic session.

(14) Every school shall upload, along with the online application, a duly e-signed self-declaration, affirming compliance with these rules and all other applicable laws governing the school and its students.

Where any particulars of the self-declaration are found to be false, the Competent Authority may impose a penalty up to Rs. 2,00,000/-, initiate the process to suspend the recognition of the school and appropriate legal proceedings against the Chairperson, Secretary or Director of the Society/Committee and Principal of the school.

6. Procedure for applying for recognition.- For new recognition, renewal of recognition or other matters, the

society/trust shall submit an online application, in the prescribed format on the portal along with the documents, as mentioned below,-

- (1) the application may be submitted on the portal throughout the year. However, applications received up to September 30th of the session, prior to the session, for which recognition is sought, shall be considered for recognition. Applications received after September 30th shall be considered for recognition for the subsequent session only. The process for granting new recognition/renewal of recognition, including appeals, shall be completed by February 28th of every year, before the commencement of the new session. The Recognition Committee shall be competent to reduce/extend the said period for unavoidable reasons.
- (2) In such cases, where a school applies for renewal of its recognition through the portal and its application is rejected due to non-fulfillment of the criteria for recognition, only students of classes 10th and 12th studying in the school may appear in the next session as regular students in the Board of Secondary Education Examinations, due to non-recognition of the school, in the interest of the students and the school shall not be eligible to admit students in classes 9th and 11th.

- (3) If for any reason the recognition of a school is cancelled in mid-session, the order shall be effective from the next session.

7. Period of recognition.- New recognition shall be granted to a society or trust for a period of five years. Thereafter, recognition of existing recognised schools may be renewed for successive periods of five years. No society or trust shall be granted recognition for both the class 9th and 10th or class 11th and 12th, in the same academic year. However, subject to fulfilment of the prescribed eligibility conditions, recognition for both the class 9th and 11th may be granted in the same year.

8. Procedure for grant of new recognition, extension of recognition, enhancement of faculty or change of medium.-

- (1) Upon receipt of a complete online application from a society/ trust/company, the Divisional Joint Director, shall assess the capacity of the applicant for grant of fresh recognition, to establish a new school or for extension of recognition of an existing recognised school.
- (2) The Divisional Joint Director shall make the final determination on the application, for grant of new recognition or extension of recognition, within 45 days from the date of receipt of the online application.
- (3) Where the application is incomplete or the prescribed documents have not been furnished, the Divisional Joint Director shall, within 15 days from the date of

receipt of the application, intimate the applicant of the deficiencies, through electronic mail. The applicant shall rectify such deficiencies and re-submit the application, within 15 days from the date of receipt of such intimation.

- (4) Where the Divisional Joint Director fails to decide the application within the prescribed period, the application for new recognition or extension of recognition shall be deemed to have been approved.

9. Implementation of service and conduct rules.- The school management shall issue and enforce service and conduct rules for the teachers and staff of the school.

10. Process/recognition application fee.-

- (1) Every society/trust/company submitting an application for recognition/extension of recognition, shall deposit the following processing fee online along with the application,-

Application made for	Enrollment	Recognition Fee
(1)	(2)	(3)
New recognition/ renewal of recognition/ faculty enhancement/ medium increase/location change /change of name	Above 2000	Rs. 10,000/-
	From 1001 to 2000	Rs. 7500/-
	From 501 to 1000	Rs. 5000/-
	Up to 500	Rs. 2500/-

- (2) The amount received as processing/recognition fee or the interest earned on that amount from the bank shall be utilised by the Commissioner of Public

Instruction or the officer authorized by the Recognition Committee, for the following purposes,-

- (a) to organize workshops, meetings, seminars etc., for improving the quality of education;
- (b) to provide awards to teachers and medical facilities to teachers;
- (c) to strengthen basic infrastructure and ICT facilities in schools;
- (d) to organize long-term/short-term training/ examinations for professional development of teachers;
- (e) to hire vehicles for periodic inspection of schools and for conducting other educational activities;
- (f) for any other activity as approved by the Recognition Committee.

11. Cancellation/suspension of recognition and forfeiture of security deposit.-

- (1) The Divisional Joint Director may suspend the recognition of a school where, on the basis of an inquiry, a *prima facie* non-compliance with the standards, conditions, obligations prescribed under rule 5 or any directions or guidelines issued from time to time, by the school is found. A show-cause notice shall be issued to the society/trust/company, within 30 days of such suspension, failing which the suspension shall be deemed to have been revoked. During the period of suspension, the school shall not admit any new students.

- (2) Where the reply of the management of the society/trust/company, to the show-cause notice is found unsatisfactory, the Divisional Joint Director may, after affording a reasonable opportunity of being heard, impose a penalty up to Rs. 1,00,000/-. Any penalty above Rs. 1,00,000/- and up to Rs. 2,00,000/- may be imposed with the prior approval of the Commissioner, Directorate of Public Instruction. Where cancellation of recognition is proposed, the prior approval of the State Recognition Committee shall be obtained. A school, whose recognition is cancelled may continue to function only for the remainder of the current academic session, in the interest of students and shall not operate thereafter.
- (3) Upon withdrawal of recognition, the security deposit furnished by the school shall stand wholly or partly forfeited, as specified in the order.

12. Appeal.-

- (1) Where an application for new recognition or extension of recognition is rejected or recognition is cancelled or a penalty is imposed, the society/trust/company aggrieved by the order of the Divisional Joint Director, may prefer a first appeal to the Commissioner, Directorate of Public Instruction, within 30 days from the date of the order. The Commissioner shall dispose of the appeal within 30 days. Any person aggrieved by the order of the Commissioner may prefer a second appeal to the State Recognition Committee within 30 days. The decision of the State Recognition Committee thereon shall be final and binding.
- (2) The State Recognition Committee may, for reasons to be recorded in writing, extend or curtail the prescribed time limit for disposal of an appeal.
- (3) Every appeal, whether preferred before the Commissioner, Directorate of Public Instruction or the State Recognition Committee, shall be accompanied by a processing fee of Rs.5,000/-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ.एल. मण्डलोई, उप सचिव.